



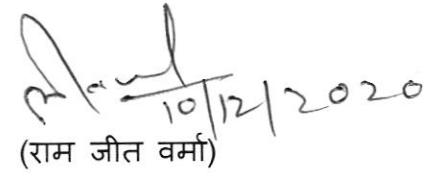
सं.10/11/प्रशा-5/2018/1972-78

दिनांक: 10/12/2020

कार्यालय आदेश

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 43019/54/96-स्था (डी) दिनांक:15.02.2001 तथा केंद्रीय जल आयोग के पत्र संख्या 1/27/92-ई-12 (पार्ट) दिनांक: 11.04.2002 अनुसार केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत मोटर वाहन चालकों की पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 24/02/2020 को आयोजित बैठक में अनुशंसा के अनुसरण में पी.सी. पी, नई दिल्ली में कार्यरत श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, मोटर वाहन चालक को ग्रेड-I से स्पेशल ग्रेड वेतनमान रु. 35400-112400 (लेवल-6,) में तत्काल प्रभाव से पदोन्नत किया जाता है।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, मोटर वाहन चालक, जिस तिथि से मोटर वाहन चालक स्पेशल ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करेंगे उसी तिथि से उक्त वेतनमान में लाभ के हकदार होंगे। इनके वेतन का निर्धारण एफ. आर.22(1)(ए)(1) के अंतर्गत होगा।


(राम जीत वर्मा)

अधीक्षण अभियंता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु:-

1. प्रधान निजी सचिव, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
2. प्रधान निजी सचिव, सदस्य, (नदी प्रबंध) केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
3. समस्त क्षेत्रीय, मुख्य अभियंता, केंद्रीय जल आयोग।
4. वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
5. निदेशक, पी.सी.पी, सेवा भवन, आर. के. पुरम, नई दिल्ली
6. श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, मोटर वाहन चालक, ग्रेड-I, पी.सी.पी, नई दिल्ली। एफ. आर.22(1)(ए)(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण हेतु 1 माह के अंतर्गत अपना विकल्प दें। एक बार विकल्प देने पर दोबारा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. कार्यालय आदेश मिसिल।

